न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी, जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
02/19	FSS ACT	14.01.2019	30.3.2022

वेदप्रकाश पूर्विया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर

–आवेदक

बनाम

1 पद्म सिंह पुत्र श्री मोती सिंह राजपुरोहित उम्र 25 वर्ष (मौके पर विक्रेता) निवसी माधोवतो का बांस, घण्टीयाला, जोधपुर, राजस्थान–342024। हाल निवासी वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर, मैसर्स बीकानेर मिष्ठान भंडार वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

2 बाबू सिंह पुत्र श्री मोती सिंह राजपुरोहित उम्र 33 वर्ष (फर्म मालिक) निवासी माधोवतो का बास, घण्टीयाला, जोधपुर, राजस्थान–342024। हाल निवासी वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर, मैसर्स बीकानेर मिष्ठान भंडार वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय **दिनांक 30.03.2022**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेदप्रकाश पूर्विया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 22.02.218 को समय 2.00 पी.एम. पर मैसर्स बीकानेर मिष्ठान भंडार वजीरपुर के पहुँचा पर पद्म सिंह पुत्र श्री मोती सिंह राजपुरोहित उपस्थित था उसको आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र की प्रति पेश की। तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ मलाई बर्फी लगभग 05 किलोग्राम दुकान से एक ट्रे में रखी हुई थी के अमानक स्तर का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति भरकर विक्रेता पदमसिंह को गवाह

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (राज0)

की उपस्थिति में देकर आवेदक द्वारा प्राप्ति रसीद ली। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ मलाई बर्फी 02 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 400/- रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है साथ ही उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ मलाई बर्फी 02 प्रत्येक नमूना बोतल चार भागों में बांटकर चार साफ व सूखी कांच की बोतलों में डाला तथा प्रत्येक नमूना बोतल में 40-40 बूंद फार्मेलिन की डालकर ढक्कन लगाकर अच्छी तरह बंद किया तथा आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक-एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर सिलप क्रमांक एच 1384 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे गवाह एवं विक्रेता पदम सिंह पुत्र मोती सिंह राजपुरोहित ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं0 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नं0 06 की अलग से सील्ड लिफाफे में गजानंद लोधा द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर अलग अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूनो का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई मधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/1705 दिनांक 28.03.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 18/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2018/235 दिनांक 22.03.20018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मलाई की बर्फी अनसेफ पाया गया हैं। विक्रेता पदम सिंह द्वारा खाद्य प्रदार्थ की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर पुनः जांच हेतु आवेदन किया गया जिस पर पुनः जाच हेतु नमूना डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा रेफरल प्रयोगशाला पुणे भिजवाया गया । वहां से प्राप्त जांच सर्टिफिकेट नम्बर डी.ओ/222/18/716/2018 दिनांक 30.07.2018 द्वारा खाद्य प्रदार्थ मलाई बर्फी सब-स्टेन्डर्ड(**Sub-Standard**) पाई गई। आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तोवज पत्रांक एफएसएसए/2018/1705 दिनांक 28.03.2018 की पालना में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/4290 दिनांक 17.12.218 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। उक्त प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्तगण ने सब-स्टेण्डड(**Sub-Standard**) खाद्य पदार्थ मलाई बर्फी का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाईमाधोपुर सिटी (राज०)

उल्लंघन किया है। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण की ओर से श्री योगेश कुमार शर्मा, एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अभियुक्तगण ने जरिए अधिवक्ता अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जबाब मे उन पर लगाए गए आरोपों को अस्वीकार करते हुए। दिनांक 22.2.2018 अपनी दुकान बंद होना तथा मौके पर उपस्थित नही होना बताया गया है क्योंकि अभियक्तगण ने दुकान नही चलने के कारण जनवरी 2018 मे ही बंद कर दी थी। प्रकरण में अधिवक्ता अभियुक्तगण की बहस सुनी गई जिसमें जबाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए परिवाद पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने अधिवक्ता अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY कोटा की REPORT OF THE FOOD ANALYSED क्रमांक 180/FSSL/KOTA/Act/2018/235 दिनांक 23.03.2018 का भी अवलोकन किया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

"Opinion- The sample of "**Malai Burfi (prepared with milk & sugar)**" bearing Code No. and Sr. No. **H-1384** of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur **IS NOT PREPARED IN ONLY MILK FAT AND OTHER EXTERIOR FAT IS ALSO USED. HENCE** Unsafe food under sectior 3(1)(zz)(iv)(v)(xi) of Food Safety and Standards Act-2006."

साथ ही पत्रावली मे संलग्न रेफरल प्रयोगशाला पुणे की Analysed Report Certificate No. DO/222/18/716/2018 Date 30.07.218 का भी अवलोकन किया गया, जो कि निम्नानुसार है:–

"Opinion- I am of opinion that above sample bringing No. **H-1384 does not conform** to the standard of properietary food falling under regulation No. 2.12.1 of the food safety & standard (food product standard & food additives) regulation 2001 on the basis of test performed **and is sub Standard as per section No. 3.1(zx)** of the food safety & standard act 2006."

FOOD ANALYSED की रिपोर्ट के मुताबिक है कि मावा बर्फी का सेम्पल Sr. No. **H-1384** SUB STANDARD (सब–स्टेण्डर्ड) पाया गया है।

अभियुक्तगण द्वारा सब–स्टेण्डर्ड (**Sub-Standard**) प्रकृति की खाद्य वस्तु का निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। अभियुक्तगण द्वारा जबाब मे अंकित कथनो के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं किए है। अतः खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अभियुक्तगण के द्वारा की गई अनियमितता के लिए अभियुक्त संख्या–1 पर 10,000 रूपये तथा अभियुक्त संख्या– 2 पर 10,000 रूपये इस प्रकार कुल 20,000 रूपये (अक्षरे–बीस हजार रूपये मात्र) आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा वाद गुजरने मियाद नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक–एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नवरत्न कोली)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)